

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मनीज बनान काबू (कैरा)

क्रिम नुकदना प्री-पत्र 111-128 नं० 170 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही न्य इनिशियल्स जज	नन्दर व तारीख अहकाम जो इत्त हुकम की तारीख मे जारी हुए
5-9-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जादें । पत्रावली दिनांक 9-10-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
9-10-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कर रखने से पत्रावली दिनांक 22-10-20 को पेश हो ।</p>	
27-10-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं । अदालत पर / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 17-11-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
17-11-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं । अदालत पर / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 15-12-20 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
15-12-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण 05 लगायत 07 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पच्छिये गये । वकील प्रार्थी अप्रार्थी 06 लगायत 04 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चलते है । परदार हल्का माण्डल परवारी द्वारा मौका दिपट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली दिया गया । अप्रार्थीगण को कितनी मर्ते वा आवाजे जिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध</p>	<p>दिनांक 15-12-20</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम्बर व तारीख
अहकाम को
हुकम की तारीख
में जारी हुआ

एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश
दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर मिराथ सुथक से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर अम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

डीटारसीन अधिकारी-महोपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 170/20 प्रा.पत्र

श्री मनोज शंभू श्री शे. हवलाल शर्मा (दादा) निवासी - संजय कौलोनी
भीलवाडा तहसील - भीलवाडा (रा.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री कालू शंभू श्री देवी लुहार निवासी - होड़ारी रोड़ा तहसील - माण्डल [क्र. 12]
(सहसंकिता प्रा.पत्र सं. 12/20)
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.12.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम होड़ारी रोड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 32 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 03 विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.09.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम होड़ारी रोड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 32 कुल किता 01 रकबा 01 बीघा 03 विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 300/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा